न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट, मुण्डारा
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या :04/2021 GCMS No 2021/ 268.
दायरा तिथि : 02.10.2021
फैसला तिथि : 02.10.2021
प्रार्थी::–
श्री सुरेश पुत्र अमरसिंहजी जाति पुरोहित
निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
1. रमेशसिंह, विक्रमसिंह पिसरान् ओटसिंह सरसोबाई पत्नि ओटसिंह जाति पुरोहित निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 2-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रशासन गांवो के संग शिविर मुण्डारा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम मुण्डारा में सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 712/1, 713, 714, 716, 717 कुल खसरा–05 कुल रकवा 6.9900 हैक्टर में सेग्रीगेशन के बाद वनी अंतिम कम्प्युटराईज्डा जमाबंदी में प्रार्थी व प्रार्थी की माता श्रीमति कन्यावाई का **हिस्सा त्रुटिपुर्ण रूप से 1/32, 1/32** दर्ज करना बताया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया कि इससे पुर्व की जमावंदी में प्रार्थी व उसकी माता कन्याबाई का **सही हिस्सा 1/16, 1/16** दर्ज था। अतः इसी अनुसार सही हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती का होने से अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया गया तथा अप्रार्थी रमेशसिंह को तलव किया गया। अप्रार्थी रमेशसिंह ने उपस्थित होकर ग्राम मुण्डारा के खाता संख्या 849 की भूमि में प्रार्थी सुरेशसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी की माता कन्यावाई का 1/16 हिस्सा एवं अप्रार्थी रमेशसिंह का 1/24 हिस्सा, विक्रमसिंह का 1/24 हिस्सा व सरसोवाई का 1/24 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में वर्णित भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 712/1, 713, 714, 716, 717 कुल खसरा–05 कुल रकवा 6.9900 हैक्टर की ऑन लाईन की जमावंदी एवं संवत् 2060 से 2063 व इससे पुर्व की जमावंदी पेश की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वंश वृक्षवली के अनुसार अमरसिंह के वारिशान का संयुक्त तौर पर 1/8 हिस्सा तथा ओटसिंह के वारिशान का संयुक्त तौर पर 1/8 हिस्सा दर्ज था। जिससे अमरसिंह के वारिशः प्रार्थी सुरेशसिंह व उसकी माता कन्यावाई का (1/8 x 1/2)= 1/16, 1/16 हिस्सा वनता हैं। तथा ओटसिंह के वारिशान अप्रार्थीगण का (1/8 x 1/3)=1/24, 1/24, 1/24 हिस्सा होता हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसकी माता कन्यावाई **का 1/32, 1/32 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का 1/16, 1/16, 1/16 हिस्सा त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज हैं।** उक्त तथ्य को अप्रार्थी रमेशसिंह द्वारा स्वीकार करते हुये **प्रार्थी व उसकी माता का सही 1/16, 1/16 हिस्सा एवं अप्रार्थी रमेशसिंह व उसके भाई विक्रमसिंह व माता सरसोबाई का 1/24, 1/24, 1/24 हिस्सा दुरस्ती** के माध्यम से दर्ज करने की सहमति प्रदान की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंवर 712/1, 713, 714, 716, 717 कुल खसरा–05 कुल रकवा 6.9900 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राईट्स कम्प्युटराईज्ड अंतिम जमावंदी मं दर्ज प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्सा कस्सी को दुरस्ती के माध्यम से निम्नानुसार संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

नाम सह खातेदार	त्रुटिपुर्ण दर्ज हिस्सा	संशोधित सही हिस्सा
प्रार्थी पक्ष– सुरेश पुत्र अमरसिंह, कन्याबाई पत्नि अमरसिंह जाति पुरोहित नि. मुण्डारा	1/32, 1/32 हिस्सा	1/16, 1/16 हिस्सा
अप्रार्थी पक्ष– रमेशसिंह पुत्र ओटसिंह विक्रमसिंह पुत्र ओटसिंह सरसोवई पत्नि ओटसिंह जाति पुरोहित निवासी मुण्डारा	1/16, 1/16, 1/16 हिस्सा	1/24, 1/24, 1/24 हिस्सा

रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज वदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद करे। आदेश प्रति सवंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 2-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner